

S.TR. 98/2017

CIS – 98/2017

09-09-2024

अभियुक्ता चन्द्रा देवी उर्फ बेहदा वाली अनुपस्थित हैं। अभियुक्ता करीब तीन वर्षों से अनुपस्थित चली आ रही हैं। दिनांक 02.08.2022 को अभियुक्ता के लगातार अनुपस्थिति के कारण उसका बंधपत्र खंडित करते हुए उसके विरुद्ध अजमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 01.09.23 को अन्तर्गत धारा 82 द0प्र0स0 का प्रोसेस एवं दिनांक 25.01.24 को अन्तर्गत धारा 83 द0प्र0स0 के अधीन का प्रोसेस निर्गत किया गया है। इसके बावजूद भी अभियुक्ता न्यायालय में उपस्थित नहीं हुई हैं। अभियुक्ता चन्द्रा देवी उर्फ बेहदा वाली का निकट भविष्य में उपस्थिति संभाव्य प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्ता चन्द्रा देवी उर्फ बेहदा वाली को फरार घोषित किया जाता है। उसके नाम में लाल स्याही से स्थायी वारंट (Permanent Warrant) निर्गत करें। उसके नाम को फरार पंजी (Absconder Register) में उल्लेखित करें तथा इस अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

  
प्रथम अपर सत्र न्यायधीश  
मधेपुरा